

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०-196/2022 दिनांक 03.06.2022 द्वारा आरक्षी पीएनओ 112391209 सचेन्द्र सिंह (वर्तमान में मु०आ०) का जनपद फतेहगढ़ से राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ किया गया स्थानान्तरण कर्मी के पुत्र के 80 प्रतिशत विकलांगता के दृष्टिगत उसके स्वयं के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इनका गृह जनपद इटावा है।

यह आदेश "पुलिस स्थापना बोर्ड" के कार्यवृत्त संख्या: एसपी-(ई-1)-जीआरपी-592/2023 दिनांक 14.08.2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW
DG-IV-STHA-592-2023/1081 DT 14-08-2023

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
कृते पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक/स्थापना
उ०प्र०, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-7, गोमतीनगरविस्तार, उ०प्र० लखनऊ-226002
संख्या: डीजी-चार-स्था०-जीआरपी-592-2023/1081 दिनांक: अगस्त 14, 2023
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त कर्मी को मूल गहन जनपद अपने स्तर से तत्काल वापस करने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, कानुपुर परिक्षेत्र कानपुर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहगढ़।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।